



## SALWAN PUBLIC SCHOOL, RAJENDRA NAGAR

PT. GIRDHARI LAL SALWAN MARG, RAJENDRA NAGAR, NEW DELHI-110060

T: +91-8800593456 / 011-49254500 / 01 | E: SPS@SALWANSCHOOLS.COM

**Subject: "Drive for Good Education for all students"  
(Classes: Nursery to XII)**

SPS/1141/ 2024

6<sup>th</sup> March, 2024

Dear Parents & students

**"Good Education"** encompasses the entire conduct of a child **"in"** and **"outside"** the school. Any conduct which is not allowed in school when indulged by students outside the school (where they cannot be supervised by school) brings disrepute to both school and upbringing of Parents.

The following such activities have been observed:-

- Roaming around the market area with shirts pulled out from the pants.
- Eating fast food from unhygienic outlets.
- Speaking in abusive or coarse street language.
- Boarding unauthorized, illegal vans hidden away from school.
- Driving of two wheelers while not being 18 years of age nor in possession of driving license.
- Riding two wheelers without helmets.

**NOTE:**

None of these activities are allowed/possible within school premises.

The school is launching a strict drive to stop such behaviour especially since it effects safety of our children. We humbly request the parents once again to please join hands in **'genuinely educating'** our kids so that they become **'model citizens'**.

Students still caught outside school gates indulging in such unacceptable behaviour repeatedly (which also tarnishes the image of parents) could face **'expulsion'** from school as per rules.

Regards

Priyanka Barara  
Principal



## SALWAN PUBLIC SCHOOL, RAJENDRA NAGAR

PT. GIRDHARI LAL SALWAN MARG, RAJENDRA NAGAR, NEW DELHI-110060

T: +91-8800593456 / 011-49254500 / 01 | E: SPS@SALWANSCHOOLS.COM

### विषय: "सभी छात्रों के लिए अच्छी शिक्षा के लिए अभियान" (कक्षाएं :नर्सरी से बारहवीं तक)

SPS/1141 / 2024

6<sup>th</sup> March,2024

प्रिय अभिभावक गण और विद्यार्थियों

"अच्छी शिक्षा" विद्यालय के अंदर और बाहर बच्चे के संपूर्ण आचरण एवं व्यवहार को शामिल करती है। आपको सूचित किया जाता है कि विद्यालय के बाहर विद्यार्थियों द्वारा अपनाए गए अस्वीकार्य आचरणों पर विद्यालय द्वारा निगरानी नहीं की जा सकती। विद्यालय के बाहर भी अगर विद्यार्थियों द्वारा कुछ अस्वीकार्य गतिविधि की जाती है तो उससे विद्यालय एवं अभिभावकों की छवि पर बुरा प्रभाव पड़ता है और विद्यालय ऐसी गतिविधियों की अनुमति नहीं देता है।

**निम्नलिखित गतिविधियाँ अस्वीकार्य हैं:-**

- पैट से शर्ट बाहर निकालकर बाज़ार में घूमना।
- अस्वच्छ दुकानों से फास्ट फूड खाना।
- अपमानजनक या असभ्य भाषा का प्रयोग करना।
- विद्यालय आने के लिए अनाधिकृत वाहनों का प्रयोग करना।
- 18 वर्ष से कम आयु के छात्रों द्वारा दोपहिया वाहन चलाना।
- ड्राइविंग लाइसेंस न होने पर वाहन चलाना।
- बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाना।

**टिप्पणी :** स्कूल परिसर के भीतर और बाहर इनमें से किसी भी गतिविधि की अनुमति नहीं है।

ऐसा व्यवहार हमारे बच्चों की सुरक्षा को प्रभावित करता है। इसलिए स्कूल इस तरह के व्यवहार को रोकने के लिए एक सख्त अभियान शुरू कर रहा है। हम सभी अभिभावकों से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करते हैं कि कृपया हमारे बच्चों को 'वास्तविक रूप से शिक्षित' करने में सहयोग दें ताकि वे 'आदर्श नागरिक' बन सकें।

यदि छात्र स्कूल के गेट के बाहर बार-बार ऐसे अस्वीकार्य व्यवहार (जो माता-पिता और विद्यालय की छवि को भी खराब करता है) में लिप्त पाए जाएँगे तो उन्हें नियमों के अनुसार स्कूल से 'निष्कासन' का सामना करना पड़ सकता है।

ससम्मान

प्रियंका बरारा  
प्रधानाचार्या